



2026:AHC-LKO:13675-DB

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या- 9 वर्ष 2016

अजय कुमार

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता: नीता सिंह चंदेल, अरशद हफीज खान, दिनेश कुमार शर्मा,
फुरकान पठान, पीयूष कुमार सिंह, प्रभा शंकर पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

निर्णय आरक्षित दिनांक : 20.11.2025

निर्णय प्रदत्त दिनांक : 20.02.2026

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी

(माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी द्वारा निर्णय दिया गया)

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में दं.प्र.सं.) की धारा 374(2) के तहत प्रस्तुत यह आपराधिक अपील, अभियुक्त/अपीलार्थी - अजय कुमार द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 9, बाराबंकी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 133 वर्ष 2011 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या- 992 वर्ष 2011 (राज्य बनाम अजय कुमार) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



05.10.2015 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये के अर्थदंड तथा व्यतिक्रम की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अभियोजन पक्ष का कथानक

2. अभियोजन पक्ष के मामले का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2011 को, परिवादी ओमचंद यादव (पी.डब्ल्यू.-1), जो ग्राम चिलोकी में चौकीदार के रूप में कार्यरत था, ने थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी में एक लिखित शिकायत/तहरीर (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि उक्त तिथि को रात लगभग 11:00 बजे, जब वह उक्त गाँव में सामान्य रात्रि गश्त पर था, तो कुछ ग्रामीणों ने उसे सूचित किया कि रखूना चिलोकी जंगल में दो शव पड़े हुए हैं। उक्त सूचना मिलने पर परिवादी कुछ ग्रामीणों के साथ उक्त घटना स्थल की ओर बढ़ा और मौके पर पहुँचने पर उसने देखा कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खेत में बने करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में एक महिला का शव पड़ा था और उसके गले में एक गमछा लिपटा हुआ था और उसके मुँह से खून बह रहा था। इसके अलावा, वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक नाले में करीब 8-9 वर्ष की एक लड़की का दूसरा शव पड़ा हुआ मिला, जिसके गले में कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। घटना स्थल पर साड़ी, ब्लाउज, अंतःवस्त्र, शर्ट और एक बैग सहित विभिन्न सामग्रियाँ बिखरी हुई पाई गईं। सूचनादाता के अनुसार, शवों की स्थिति और आसपास की परिस्थितियाँ यह संकेत दे रही थीं कि पीड़ितों की हत्या उसी स्थान पर की गई थी।

3. उपरोक्त लिखित शिकायत/तहरीर (प्रदर्श क-1) के आधार पर थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत वाद अपराध संख्या- 133 वर्ष 2011 पंजीकृत किया गया और तत्पश्चात मामले की विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने और विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की संलिप्तता को दर्शाने वाली सामग्री पाई। इस प्रकार, सक्षम न्यायालय के समक्ष उक्त अभियुक्त/अपीलार्थी - अजय कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र (प्रदर्श क-8) दाखिल किया गया और कानून की उचित प्रक्रिया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का पालन करने के बाद, आदेश दिनांक 18.07.2011 द्वारा मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह संतुष्ट होने के बाद कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, आदेश दिनांक 12.08.2011 द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप तय किए। आरोप अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को हिंदी में पढ़कर सुनाए और समझाए गए, जिसमें उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। तदनुसार, मामले को विचारण के लिए लिया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ

5. आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कालानुक्रमिक ढंग से निम्नलिखित नौ गवाहों का परीक्षण किया:-

पी.डब्ल्यू.-1 ओम चंद यादव

चिक एफआईआर का गवाह

डॉ. सुनील कुमार जो 23.04.2011 को जिला

पी.डब्ल्यू.-2 अस्पताल, बाराबंकी में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पोस्टमार्टम का गवाह

पर तैनात थे।

पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती सोना देवी

ग्रामीण/अंतिम बार देखे जाने की गवाह

पी.डब्ल्यू.-4 श्रीमती धुरिया

ग्रामीण/अंतिम बार देखे जाने की गवाह

पी.डब्ल्यू.-5 विनोद

ग्रामीण/अंतिम बार देखे जाने का साक्षी

पी.डब्ल्यू.-6 गणेश

मृतका का देवर/मकसद का गवाह

पी.डब्ल्यू.-7 उप निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह

वर्तमान मामले के विवेचक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.डब्ल्यू.-8 संदीप

चाय की दुकान का
मालिक/अंतिम बार देखे जाने
का गवाह

पी.डब्ल्यू.-9 उप निरीक्षक प्रदीप कंकन

पंचायतनामा का गवाह

6. उपरोक्त मौखिक साक्ष्यों के अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान प्रदर्शित विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी अवलम्ब लिया, जो प्रदर्श क-1 से प्रदर्श क-27 तक हैं।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने पर, अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार का बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत सभी परिस्थितियों से इनकार किया। अपने अतिरिक्त बयान में, अभियुक्त ने कहा कि पी.डब्ल्यू.-6, गणेश उसके गाँव में रहने वाला एक रिश्तेदार था और पूर्व मकसद के कारण उसने उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया था।

8. अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, जैसा कि यह न्यायालय पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख में दर्ज है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

9. विरोधी तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष पुख्ता मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है। बचाव पक्ष के इस तर्क पर विचार किया गया, कि अपराध में प्रयुक्त कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था और विचारण न्यायालय द्वारा उसे खारिज कर दिया गया, विशेष रूप से मृतकों के गले में पाए गए गमछे और कपड़े के टुकड़े जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों की बरामदगी को देखते हुए, जिन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों के माध्यम से विधिवत साबित किया गया था। विचारण न्यायालय ने मकसद के अभाव से संबंधित बचाव पक्ष की दलील को भी खारिज कर दिया और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह माना कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध उक्त तर्क को नकारने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद थी।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतका शुभांगी के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के अदालती विवाह से संबंधित साक्ष्य पर भी भरोसा किया। यद्यपि विवाह के नोटरी का परीक्षण नहीं किया गया था, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर मौजूद मौखिक साक्ष्य ने पर्याप्त रूप से यह स्थापित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को गाँव में आमतौर पर मृतका के दूसरे पति के रूप में जाना जाता था, जिस परिस्थिति की अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से विधिवत पुष्टि हुई थी।

11. साक्ष्यों का समग्र रूप से विश्लेषण करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे यह माना कि अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति- के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद थी, क्योंकि उनकी धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज बयानों और न्यायालय के समक्ष उनके बयानों के बीच कोई तात्त्विक अंतर्विरोध नहीं पाया गया था। इसके अलावा, धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने में हुए दो से तीन दिनों के विलंब को मामले के तथ्यों में महत्वहीन माना गया।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मृतका और उसकी नाबालिग पुत्री को उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की संगति में अंतिम बार देखा गया था और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार द्वारा उनकी मृत्यु का कारण बनने वाली परिस्थितियों के संबंध में कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उपधारणा को लागू किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को आरोपित अपराधों का दोषी ठहराते हुए अपनी संतुष्टि दर्ज की और सत्र विचारण संख्या- 992 वर्ष 2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.10.2015 के माध्यम से उसे धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये के अर्थदंड तथा व्यतिक्रम की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ

13. विद्वान विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष से व्यथित होकर, अभियुक्त/अपीलार्थी- अजय कुमार द्वारा वर्तमान अपील अर्थात् आपराधिक अपील संख्या- 9 वर्ष 2016 दायर की गई।

14. अभियुक्त/अपीलार्थी- अजय कुमार का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के कारण, अभियुक्त/अपीलार्थी- अजय कुमार दिनांक 23.04.2011 से कारागार में है और इस प्रकार उसकी कारावास की अवधि 14 वर्ष और 8 महीने से अधिक हो चुकी है।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्क

15. अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अजय कुमार को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-26) में नामजद नहीं किया गया है और उसकी दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि उसके विरुद्ध साक्ष्यों की कोई पूर्ण श्रृंखला मौजूद नहीं है।

16. दिनांक 23.04.2011 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के साक्ष्य से प्रकट होता है कि मृत्यु का संभावित समय लगभग 2 दिन पूर्व था, जिसका स्पष्ट अर्थ यह था कि कथित घटना दिनांक 21.04.2011 को दोपहर लगभग 3-4 बजे घटित हुई होगी। हालांकि, उनके अनुसार, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को घटना से ठीक पहले या बाद में किसी भी गवाह द्वारा मृतका के साथ या घटना स्थल पर देखा गया था।

17. विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की निशानदेही पर या उसके कब्जे से किसी भी सामग्री की बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी गवाह पेश नहीं किया गया है जो अपराध के कथित हथियार अर्थात् साड़ी के टुकड़े या गमछे की बरामदगी का अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के साथ कोई संबंध स्थापित कर सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की ओर से कथित अपराध कारित करने की किसी भी मकसद को साबित करने में विफल रहा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने वाले मामलों में मकसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उन्होंने आगे कहा कि इस पहलू पर न तो कोई विवेचना की गई है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार मृतका की हत्या उसके गाँव और/या अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के गाँव से लगभग 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर क्यों करेगा। उनके अनुसार, अपीलार्थी मृतका की मृत्यु से लाभ पाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि वह पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) है, जो मृतका की मृत्यु का वास्तविक लाभार्थी है।

19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कड़ा तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने यह मान लिया कि मृतका अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की पत्नी है, यद्यपि उक्त संबंध का आधार अर्थात् दिनांक 28.12.2010 का नोटरी शपथपत्र न तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया और न ही इसे किसी गवाह द्वारा साबित किया गया।

20. अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के कथित परिस्थितिजन्य साक्ष्य अर्थात् पी.डब्ल्यू.-3 (सोना देवी), पी.डब्ल्यू.-4 (श्रीमती धुरिया) और पी.डब्ल्यू.-5 (विनोड) लाभार्थी पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश), जो देवर है, का समर्थन करने वाले हितबद्ध साक्षी हैं और ये सभी गवाह एक ही गाँव के हैं। किसी भी स्थिति में, उन्होंने रेखांकित किया कि उनके बयानों में बड़े अंतर्विरोध हैं और वे कोई विश्वास नहीं जगाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के और आपराधिक न्यायशास्त्र के इस मूल सिद्धांत की अनदेखी करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को त्रुटिपूर्ण रूप से दोषी ठहराया है कि गवाहों की गवाही पर किसी भी संदेह की स्थिति में संदेह का लाभ हमेशा अपीलार्थी/अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए। अतः उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को दोषमुक्त करने की प्रार्थना की है।

21. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश का समर्थन किया। विद्वान अपर शासकीय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिवक्ता के अनुसार, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आए विभिन्न साक्ष्यों पर सूक्ष्मता से विचार किया है और उक्त साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को दोषी पाया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इंगित किए गए अंतर्विरोध तात्विक नहीं हैं और वे केवल मानवीय त्रुटियाँ हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा स्वाभाविक भिन्नता माना गया है, न कि ऐसा तात्विक अंतर्विरोध जिसका गवाहों के बयानों की सत्यता पर कोई प्रभाव पड़े।

22. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के गवाहों की गवाही के साधारण पठन से यह आसानी से प्रतिपादित किया जा सकता है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार ही था, जिसे मृतका और उसकी नाबालिग बच्ची की हत्या से पहले उनकी संगति में अंतिम बार देखा गया था और इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया, जिसे देने में वह पूरी तरह विफल रहा और इसलिए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को सही दोषी ठहराया है। अतः उनके अनुसार आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

23. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री उमेश वर्मा को सुना गया।

24. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से मकसद और अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत के रूप में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि किसी भी गवाह ने उस कथित घटना को देखने का दावा नहीं किया है जिसमें मृतका शुभांगी और उसकी 8/9 वर्ष की नाबालिग पुत्री को मौत के घाट उतार दिया गया था।

25. सबसे पहले, यह दर्ज किया जाना आवश्यक है कि मृतका और उसकी पुत्री ग्राम - भैरबपुर धौला, थाना - रौनापार, जिला - आजमगढ़ की निवासी थीं, जैसा कि अभियोजन पक्ष के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कथानक के अनुसार अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत के गवाहों और सह-ग्रामीणों अर्थात् पी.डब्ल्यू.-3 (सोना देवी), पी.डब्ल्यू.-4 (श्रीमती धुरिया) और पी.डब्ल्यू.-5 (विनोद) के बयानों में आया है। इसके अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश), जो मृतका का देवर है, ने भी बयान दिया है कि मृतका और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार उपरोक्त गाँव के निवासी थे और यहाँ तक कहा कि पुलिस ने उसे और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार दोनों को उनके गाँव से एक साथ पकड़ा था और बाराबंकी पोस्टमार्टम हाउस ले गई थी, जहाँ पुलिस द्वारा उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) से शवों की पहचान कराई गई थी। इसलिए, यह मानने में कोई दो राय नहीं है कि चाहे मृतका हो या अभियुक्त/अपीलार्थी, दोनों ग्राम- भैरबपुर, जिला- आजमगढ़ के निवासी हैं।

26. जहाँ तक शवों की बरामदगी का संबंध है, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि उन्हें रखूना चिलोकी जंगल, ग्राम- चिलोकी, थाना- सफदरगंज, नवाबगंज, जिला- बाराबंकी से बरामद किया गया है। यह न्यायालय इस तथ्य को संज्ञान में लेता है कि मृतका के निवास स्थान अर्थात् ग्राम- भैरबपुर, जिला- आजमगढ़ और शवों की बरामदगी के स्थान अर्थात् थाना- सफदरगंज, जिला- बाराबंकी के बीच की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। इसलिए, इस न्यायालय के अनुसार वर्तमान मामले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह भी देखना होगा कि अभिलेख पर ऐसा क्या साक्ष्य आया है जो यह दर्शाए कि मृतका (या मृतका का शव) किन परिस्थितियों में इस 300 किलोमीटर की दूरी तक पहुँची और अभियुक्त/अपीलार्थी को उक्त अपराध स्थल से जोड़ने के लिए क्या साक्ष्य मौजूद हैं।

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि हत्या के आरोप में दोषसिद्धि विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, हालांकि, उक्त दोषसिद्धि हमेशा इस चेतावनी के साथ आती है कि ऐसी दोषसिद्धि विश्वसनीय और भरोसेमंद माने जाने वाले साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े मामलों में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दोषसिद्धि के निष्कर्ष तक ले जाने वाले तथ्य पूरी तरह से स्थापित हों और सभी स्थापित तथ्य अकाट्य रूप से अभियुक्त/अपीलार्थी व्यक्ति के दोष की ओर संकेत करते हों। अभियोजनकारी परिस्थितियों की श्रृंखला निर्णायक होनी चाहिए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अभियुक्त/अपीलार्थी के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को अपवर्जित करती होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभियोजनकारी परिस्थितियों की श्रृंखला से, अभियुक्त व्यक्ति की बेगुनाही के बारे में कोई उचित संदेह नहीं पैदा होना चाहिए, जो यह प्रदर्शित करे कि वह अभियुक्त ही था और कोई अन्य नहीं जिसने अपराध कारित किया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के संबंध में कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 के मामले में स्पष्ट किया गया है; जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"153. इस निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह से स्थापित मानने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने दर्शित किया है कि संबंधित परिस्थितियाँ स्थापित -होनी ही चाहिए-, न कि -'हो सकती हैं'-। -साबित किया जा सकता है- और -साबित किया जाना ही चाहिए- के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी सहाबराव बोबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793] के मामले में माना गया था, जहाँ यह टिप्पणी की गई थी: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807] - निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त का दोषी होना अनिवार्य है, न कि केवल दोषी होना संभावित हो और -हो सकता है- तथा -होना ही चाहिए- के बीच की मानसिक दूरी लंबी है जो अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। (1984) 4 एससीसी 116

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के सुसंगत होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और मानव की पूर्ण संभाव्यता में यह दर्शाए कि वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होना चाहिए।"

(प्रभाव वर्धित)

28. विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले को शासित करने वाले सिद्धांतों को संज्ञान में लेने के बाद, यह न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ता है। अभियुक्त-अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध हत्या के आरोप को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों के रूप में सूत्रबद्ध किया जा सकता है:

(i) पहली परिस्थिति रखूना चिलोकी जंगल, थाना-सफदरगंज, उप-जिला- नवाबगंज, जिला- बाराबंकी में पड़े हुए दो अज्ञात व्यक्तियों के शवों की बरामदगी होगी;

(ii) दूसरी परिस्थिति मृतक व्यक्तियों की मृत्यु का कारण होगा;

(iii) तीसरी परिस्थिति घटना स्थल से मृतका और अपीलार्थी के बीच विवाह संपन्न होने से संबंधित दिनांक 28.12.2010 के नोटरी शपथपत्र की फोटोकॉपी की बरामदगी होना होगी;

(iv) चौथी परिस्थिति अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार द्वारा मृतकों को मौत के घाट उतारने का मकसद होगा;

(v) पाँचवीं परिस्थिति अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य होगा, ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान को लागू किया जा सके और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार पर उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का दायित्व डाला जा सके जिनके तहत मृतका मृत पाई गई थी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29. जहाँ तक पहली परिस्थिति का संबंध है, पी.डब्ल्यू.-1 ने बयान दिया है कि रखूना चिलोकी जंगल में, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पीछे एक गड्ढे में मृतका शुभांगी का शव मिला था जिसके गले में एक गमछा (तौलिया) बंधा हुआ था और नाले के पास एक नाबालिग लड़की का शव पड़ा हुआ था। उसने लिखित शिकायत/तहरीर को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया, जिसके परिणामस्वरूप अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के तहत वाद अपराध संख्या- 133 वर्ष 2011 (प्रदर्श क-26) के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तत्पश्चात, पी.डब्ल्यू.-9 ने दोनों मृतक व्यक्तियों की पंचायतनामा की कार्यवाही को प्रदर्श क-12 और प्रदर्श क-19 के रूप में साबित किया। इस प्रकार, रखूना चिलोकी जंगल, ग्राम- चिलोकी, थाना- सफदरगंज, जिला- बाराबंकी में शवों की बरामदगी का तथ्य साबित हो जाता है।

30. दूसरी परिस्थिति मृत्यु का कारण है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह न्यायालय पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के साथ विवेचना शुरू हुई और पंचायतनामा में यह दर्ज है कि मृतका शुभांगी के गले में गमछे की गांठ बंधी हुई थी और आसपास के कई लोगों से बातचीत करने के बाद भी उक्त मृतका की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार, मृत्यु का कारण जानने के लिए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। दोनों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-2 और प्रदर्श क-3) को पी.डब्ल्यू.-2 द्वारा साबित किया गया था। उक्त गवाह, जो एक डॉक्टर हैं और जिला अस्पताल, बाराबंकी में वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में तैनात हैं, ने बयान दिया है कि थायराइड उपास्थि के स्तर पर गर्दन के चारों ओर 34 सेमी X 2 सेमी का एक घाव गले पर रस्सी का निशान मौजूद था। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि मृत्यु मृत्यु-पूर्व गला घोटने के कारण हुई थी और दोनों मृतकों को आई चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। इस प्रकार, मृतकों की आपराधिक मृत्यु से संबंधित दूसरी परिस्थिति भी साबित हो जाती है।

31. तीसरी परिस्थिति घटना स्थल से मृतका और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के बीच विवाह संपन्न होने से संबंधित दिनांक 28.12.2010 के नोटरी शपथपत्र की फोटोकॉपी की बरामदगी होगी। उक्त नोटरी शपथपत्र की बरामदगी के संबंध में, विवेचक (पी.डब्ल्यू.-7) ने बयान दिया कि उसने घटना स्थल से उक्त नोटरी शपथपत्र के साथ-साथ वहाँ बिखरी हुई

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विभिन्न सामग्रियां जैसे साड़ियाँ, ब्लाउज, पेटिकोट, मोबाइल, क्रीम, सुई और धागा, नेल पॉलिश, बैग आदि बरामद किए थे, जिसमें अपराध का हथियार भी शामिल था। हालांकि, यह न्यायालय पाता है कि नोटरी शपथपत्र को छोड़कर अन्य सभी सामग्रियों के लिए प्रदर्श क-5 के रूप में एक बरामदगी मेमो तैयार किया गया था। इसके अलावा, मृतकों का गला घोटने के लिए गर्दन के चारों ओर बांधने में प्रयुक्त साड़ी के टुकड़े और गमछे जैसे अपराध के हथियार की बरामदगी को भी प्रदर्श क-6 और प्रदर्श क-7 के रूप में अंकित किया गया था; परंतु नोटरी शपथपत्र के संबंध में कोई फर्द/बरामदगी मेमो तैयार नहीं किया गया था, और न ही इसे आरोप पत्र के साथ दाखिल किया गया था या अभिलेख पर लाया गया है।

32. इसके अतिरिक्त, मृतका और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के बीच विवाह के तथ्य को साबित करने के लिए या उक्त नोटरी शपथपत्र की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया है। दिनांक 28.12.2010 का नोटरी शपथपत्र, जिसके विवाह प्रमाण पत्र होने का आरोप है, वर्तमान मामले के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। यह न्यायालय पाता है कि विवेचक के अनुसार, मृतक व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नोटरी शपथपत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक था और यह अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार से जोड़ने वाली एक कड़ी भी था, हालांकि, इस न्यायालय को बिल्कुल भी सुराग नहीं है कि किन परिस्थितियों में उक्त नोटरी शपथपत्र को वर्तमान मामले के अभिलेख पर नहीं लाया गया।

33. इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी.डब्ल्यू.-3 ने अपने बयान में कहा है कि मृतका अपीलार्थी की पत्नी है, हालांकि, उसने यह भी कहा है कि शुभांगी और उसकी बच्ची उसके गाँव की निवासी थीं तथा अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार किसी अन्य गाँव का है और घटना से केवल 3/4 महीने पहले ही मृतका के साथ रहने आया था। स्पष्ट रूप से, विवाह का तथ्य स्पष्ट कारणों से अविश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि वह यह नहीं जानती कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार अपनी आजीविका के लिए क्या करता था और न ही यह कि वह किस गाँव से आया था। इसी तरह, पी.डब्ल्यू.-4 ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में अदालती विवाह के तथ्य का उल्लेख किया, परंतु अपनी जिरह में उसने स्वीकार

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि उक्त विवाह कहाँ और कब संपन्न हुआ था। पी.डब्ल्यू.-4 यह भी कहती है कि वह और पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश/देवर) एक ही बिरादरी से संबंध रखते हैं।

34. पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) की गवाही से भी यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि यद्यपि उसने बयान दिया है कि मृतका और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार का अदालती विवाह हुआ था और विवेचक द्वारा उसे उक्त कागज दिखाया गया था, फिर भी अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया कि विवेचक द्वारा दिखाया गया अदालती विवाह का कागज उसके द्वारा पहली बार देखा जा रहा था। इसके अलावा, विवेचक ने अपनी जिरह में बयान दिया है कि उसने कभी भी पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) के घर का दौरा नहीं किया था और इसलिए उसे अदालती विवाह का नोटरी शपथपत्र दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी तथ्यात्मक गवाहों ने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के साथ मृतका के विवाह से संबंधित बयान दिए हैं, परंतु उनमें से कोई भी लगभग 8/9 वर्ष की आयु की उस बच्ची का नाम नहीं जानता था, न ही वे यह जानते थे कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार अपनी आजीविका के लिए क्या करता था, और न ही वे यह जानते थे कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार किस गाँव से आया था। इस प्रकार, विवाह से संबंधित इन तथ्यात्मक गवाहों की गवाही विश्वास नहीं जगाती है और अविश्वसनीय है तथा इसे संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि ये सभी तथ्यात्मक गवाह एक ही गाँव और एक ही बिरादरी से संबंध रखते हैं। इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से विवाह का तथ्य साबित नहीं किया जा सका, हालांकि, इस न्यायालय के पास यह मानने का कारण है कि मृतका और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के बीच कुछ संबंध विद्यमान था।

35. साक्ष्यों के पठन से पाई जाने वाली चौथी परिस्थिति अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार द्वारा हत्या का अपराध कारित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित मकसद का सिद्धांत होगा। जहाँ तक मकसद के सिद्धांत का संबंध है, यह स्थापित कानून है कि हत्या के मामले में मकसद का साबित होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, यदि मकसद उचित रूप से स्थापित हो जाती है, तो यह बहुत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महत्व रखती है और निश्चित रूप से परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पुष्टिकारक कड़ी प्रदान करेगी तथा अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करेगी। इस संबंध में **नंदू सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1454** के मामले पर अवलम्ब लिया जा सकता है।

36. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, यहाँ पाँच तथ्यात्मक गवाह हैं। उक्त पाँच गवाहों में से, पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) को छोड़कर, इनमें से किसी भी गवाह ने मकसद से संबंधित कुछ भी बयान नहीं दिया है। पी.डब्ल्यू.-6 के साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह प्रकट होगा कि उसके द्वारा हत्या के लिए बताई गई एकमात्र मकसद अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार द्वारा मृतका के जीवनकाल के दौरान दी गई धमकी है। उक्त गवाह के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार ने मृतका-शुभांगी को जान से मारने की धमकी दी थी, यदि उसने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। हालांकि, अपनी जिरह में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि न तो उसने और न ही मृतका-शुभांगी ने कभी भी उक्त धमकी से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज किए जाने के दौरान उसने पुलिस को जान से मारने की धमकी के उक्त तथ्य के बारे में नहीं बताया था। इसके अलावा, वह अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि उसके भाई-शंकर की मृत्यु के बाद, गाँव की भूमि उसकी भाभी शुभांगी के नाम पर आ गई थी और उसकी मृत्यु के बाद, वर्तमान में वह भूमि उसके नाम पर आ गई है। पी.डब्ल्यू.-6 के उक्त छिटपुट बयान के अलावा, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य या विवेचना नहीं आई है जो अभियुक्त/अपीलार्थी की दुर्भावना को दर्शाए। इस प्रकार, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध साबित की जाने वाली मकसद पूरी तरह से दूर की कौड़ी है और अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा हत्या का अपराध कारित करने की किसी भी मकसद को दर्शाने वाले कोई भी तात्कालिक या निकटवर्ती कारण अभिलेख पर नहीं आए हैं। अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार सर्वसम्मति से मृतक व्यक्ति की मृत्यु का लाभार्थी भी नहीं है। इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार पर मढ़े गए अपराध कारित करने की मकसद के सिद्धांत को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आश्वस्त करने से कोसों दूर हैं और परिस्थितियों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, निर्विवाद रूप से, विचारण न्यायालय ने यह मानने में भूल की कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध हत्या की मकसद को हर प्रकार के संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

37. पाँचवीं परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य होगी, जिसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बल पर साबित करने का भार स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार पर उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का दायित्व डाला गया है जिनके तहत शुभांगी और उसकी 8/9 वर्ष की नाबालिग पुत्री मृत पाई गई थीं। यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 तभी लागू होगी और स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर तभी स्थानांतरित होगा जब अभियोजन पक्ष उन बुनियादी आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में सफल हो जाता है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सके जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में हैं। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध एक उचित निष्कर्ष निकाल सकता है। परिस्थितियों पर आधारित मामलों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आवश्यक रूप से अभियुक्त का उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है - परंतु केवल तभी जब अभियोजन पक्ष पहले से ही आधारभूत तथ्य सहित अन्य आवश्यक तत्वों को स्थापित कर चुका हो, जो अभियुक्त पर भार स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त हों। हालांकि, यदि अभियोजन पक्ष प्रथमतः परिस्थितियों की एक पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत भार का निर्वहन करने में अभियुक्त की विफलता अप्रासंगिक हो जाती है।

38. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत भार के स्थानांतरण को लागू करने से संबंधित कानून की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, एआईआर 1956 एससी 404** के मामले में की गई है; जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"8. धारा 106, धारा 101 का एक अपवाद है। धारा 101 साबित करने के भार के संबंध में सामान्य नियम निर्धारित करती है:

"101. साबित करने का भार- जो कोई चाहता है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के संबंध में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिन्हें वह प्रख्यापित करता है, उसे यह साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।-

9. दृष्टांत (क) कहता है:

"क चाहता है कि न्यायालय ऐसा निर्णय दे जिसके द्वारा ख को उस अपराध के लिए दंडित किया जाए जिसके संबंध में क कहता है कि ख ने कारित किया है।

क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध कारित किया है।-

10. यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि आपराधिक मामले में साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, इसे कुछ ऐसे असाधारण मामलों से निपटने के लिए तैयार किया गया है जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव, या किसी भी स्थिति में अत्यधिक कठिन होगा जो 'विशेष रूप से' अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता था। शब्द -विशेष रूप से- उसी पर जोर देता है। इसका अर्थ है वे तथ्य जो मुख्य रूप से या असाधारण रूप से उसके ज्ञान में हैं। यदि इस धारा की व्याख्या अन्यथा की जाए, तो यह इस चोंकाने वाले निष्कर्ष पर ले जाएगी कि हत्या के मामले में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उसने हत्या नहीं की है क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने ऐसा किया है या नहीं। यह स्पष्ट है कि यह आशय नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस धारा को, जैसा कि भारत के बाहर कुछ अन्य अधिनियमों में पुनःउद्धृत किया गया है, यह अर्थ लगाने से इनकार कर दिया है कि अभियुक्त व्यक्ति पर यह दिखाने का भार है कि उसने वह अपराध कारित नहीं किया है जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है।....."

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



39. इसके अतिरिक्त, **तुलसीराम सहादु सूर्यवंशी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 10 एससीसी 373** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"23. यह स्थापित कानून है कि तथ्य की उपधारणा साक्ष्य के कानून में एक नियम है जिसके तहत अन्यथा संदेहास्पद तथ्य का कुछ अन्य साबित तथ्यों से अनुमान लगाया जा सकता है। जब साबित तथ्यों के अन्य वर्ग से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, तो न्यायालय तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करता है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के आलोक में उपरोक्त स्थिति और मजबूत होती है। यह न्यायालय को किसी भी ऐसे तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा करने की शक्ति देती है जिसे वह घटित होना संभावित समझता है। उस प्रक्रिया में, न्यायालय मामले के तथ्यों के अतिरिक्त प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य क्रम, मानवीय आचरण आदि पर ध्यान देंगे। इन परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस धारा का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के दोष को उचित संदेह से परे साबित करने के उसके भार से मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह उन मामलों पर लागू होगी जहाँ अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के बल पर कोई ऐसा स्पष्टीकरण देने में विफल न रहा हो जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।"

40. इसी तरह की टिप्पणी **नगेंद्र साह बनाम बिहार राज्य, (2021) 10 एससीसी 725** में भी मिलती है; जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि:

"22. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहाँ अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में हैं। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय हमेशा एक उचित निष्कर्ष निकाल सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो यदि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बल पर उस पर डाले गए भार के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। परिस्थितियों पर आधारित मामले में, यदि परिस्थितियों की वह श्रृंखला जिसे स्थापित करना अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक है, स्थापित नहीं होती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत भार का निर्वहन करने में अभियुक्त की विफलता बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। जब श्रृंखला पूर्ण नहीं होती है, तो बचाव पक्ष का असत्य होना अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है।"

41. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनीस बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2024) 15 एससीसी 48 के मामले में निम्नलिखित शब्दों में अभिनिर्धारित किया:

"45. अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष की अक्षमता को पूरा करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता है। इस धारा का उपयोग तब तक दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष ने अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके अपना दायित्व पूरा न कर दिया हो। यह अभियोजन पक्ष को इस कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है कि अपराध कारित किया गया था, भले ही यह विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान का मामला हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का भार नहीं डालता है कि कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। किसी ऐसे मामले में जहाँ अन्य परिस्थितियाँ अपने आप में स्पष्टीकरण मांगने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वहाँ उचित स्पष्टीकरण के अभाव से अभियुक्त के दोष का अनुमान लगाना अभियोजन पक्ष को उसके वैध भार से मुक्त करना है। इसलिए, जब तक ऐसे साक्ष्यों द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हो जाता, तब तक भार अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं होता है।"

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

42. उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करने पर, अभियोजन पक्ष के लिए यह बुनियादी आधारभूत तथ्य स्थापित करना आवश्यक होगा कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार और शुभांगी तथा उसकी पुत्री (मृतका) को अंतिम बार एक साथ देखा गया था और विशिष्ट रूप से घटना के ठीक पहले के समय के दौरान देखा गया था। तथ्यात्मक गवाहों की गवाही के सूक्ष्म परिशीलन से पी.डब्ल्यू.-3 (सोना देवी) के बयान से यह प्रकट होता है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को मृतक व्यक्तियों के साथ गाँव छोड़ते हुए देखा था। अपनी जिरह में, उसने बयान दिया कि वह उनसे मिल नहीं सकी क्योंकि वे गाँव से जा रहे थे और बताया कि उनके जाने के बाद या तो तीसरे या चौथे दिन बाराबंकी पुलिस उसके गाँव आई थी। वह समय के बारे में कुछ नहीं कहती, परंतु कहती है कि यह शाम के दौरान था। इस प्रकार, -अंतिम बार एक साथ देखे जाने- से संबंधित साक्ष्य निकटवर्ती नहीं है क्योंकि उनके एक साथ देखे जाने की घटना और कारित अपराध के बीच 3-4 दिनों का अंतर है। इसके अतिरिक्त, उक्त गवाह उन दिनों की संख्या के बारे में आश्वस्त नहीं है जब उसने कथित तौर पर मृतका को अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की संगति में देखा था। पी.डब्ल्यू.-4 (धुरिया) भी कहती है कि उसने लगभग तीन वर्ष पहले दोपहर में अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को एक साथ गाँव छोड़ते हुए देखा था, हालांकि, वह यह नहीं जानती कि उसने इन लोगों को एक साथ किस स्थान पर देखा था।

43. पी.डब्ल्यू.-5 (विनोद) कहता है कि उसने भी अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को मृतका के साथ सुबह लगभग 11 बजे गाँव छोड़ते हुए देखा था। हालांकि, अपनी जिरह में उसने यह कहा है कि यह सही है कि उसने मृतका और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को एक साथ जाते हुए नहीं देखा है। इस प्रकार, उसके बयान में एक स्पष्ट अंतर्विरोध परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, वह स्वीकार करता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार और मृतका दोनों को गाँव से एक साथ जाते हुए देखने का तथ्य उसने पुलिस को तब नहीं बताया था जब धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था। अगले तथ्यात्मक गवाह अर्थात् पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार और मृतका को एक साथ गाँव से जाते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार, मृतका को अभियुक्त/अपीलार्थी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अजय कुमार की संगति में एक साथ जाते हुए देखने का तथ्य या यह कि वह किस तिथि या समय पर था, गंभीर रूप से संदेहास्पद है। प्रत्यक्ष रूप से, पी.डब्ल्यू.-7 (विवेचक) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने पी.डब्ल्यू.-3 (सोना देवी) और पी.डब्ल्यू.-5 (विनोद) के बयान दिनांक 06.07.2011 को अर्थात् घटना के 75 से अधिक दिनों के बाद दर्ज किए थे और पी.डब्ल्यू.-4 का बयान दिनांक 11.07.2011 को अर्थात् 80 से अधिक दिनों के बाद दर्ज किया था। यद्यपि गवाह पी.डब्ल्यू.-3, पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-5 ने अपनी गवाही में अभियुक्त/अपीलार्थी को मृतका के साथ गाँव छोड़ते हुए देखने का अलग-अलग समय बताया है, जो कि मामूली विसंगतियाँ प्रतीत होती हैं, फिर भी उन गवाहों के पुलिस बयान दर्ज करने में हुआ विलंब उनके कथानक के सूक्ष्म परीक्षण की मांग करता है। यह ध्यान में रखते हुए कि समय के साथ मानवीय स्मृति धुंधली हो जाती है और तथ्यों या घटनाओं का कोई भी विवरण उस धारणा और ज्ञान पर निर्भर करेगा जो उक्त गवाह ने अपराध की तिथि और बयान दर्ज होने की तिथि के बीच की मध्यवर्ती अवधि में अर्जित किया है।

44. किसी भी स्थिति में, वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सर्वसम्मति से, शवों की बरामदगी एक साथ देखे जाने के 3/4 दिन बाद ही नहीं हुई, बल्कि कुछ 300 किलोमीटर दूर सटीक रूप से रखूना चिलोकी जंगल, ग्राम- चिलोकी, थाना- सफदरगंज, नवाबगंज, जिला- बाराबंकी से हुई। इस प्रकार, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की गवाही घटना के ठीक पहले की या मृतक व्यक्तियों की हत्या के घटित होने के निकटवर्ती प्रतीत नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामबृक्ष बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2016) 12 एससीसी 251** के मामले में माना कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत परिस्थितियों पर आधारित मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए केवल तभी हितकर होगा जब अंतिम बार देखे जाने के बिंदु और मृत्यु की खोज के समय के बीच का अंतर इतना कम और निकटवर्ती हो कि उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य अपराध कारित न कर सका हो। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में भी जहाँ अभियुक्त को मृतका की संगति में अंतिम बार देखा गया था, यह माना कि इन मामलों में भी केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति ही अपर्याप्त है और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए परिस्थितियों की एक पूर्ण श्रृंखला स्थापित करनी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होगी। रामबृक्ष (उपरोक्त) के उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"12. यह स्थापित कानून है कि अभियुक्त के विरुद्ध केवल इस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती कि अभियुक्त को मृतका के साथ अंतिम बार देखा गया था। दूसरे शब्दों में, दोषसिद्धि केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती। सामान्यतः, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब क्रियाशील होता है जब उस समय के बिंदु, जब अभियुक्त और मृतका को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतका मृत पाई जाती है, के बीच का अंतर इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभावना असंभव हो जाती है। दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए, केवल अंतिम बार एक साथ देखा जाना ही पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करना होगा।"

(प्रभाव वर्धित)

45. इसके अतिरिक्त, अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य, 1994 सप्लीमेटरी (2) एससीसी 372; कृष्णन उर्फ रामास्वामी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2014) 4 एससीसी 715; और कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एससीसी 715 से शुरू होने वाले निर्णयों की एक सुसंगत श्रृंखला है; जिन्होंने यह माना है कि अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है और अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि अभियुक्त को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

46. इस न्यायालय के अनुसार, अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत के संबंध में विवरण देने के लिए सबसे उपयुक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-8 (संदीप कुमार) होता, वह गवाह जिसने कथित तौर पर अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार और मृतका को अपनी चाय और समोसे की दुकान पर एक साथ देखा था। हालांकि, उक्त गवाह का बयान अधिक उपयोग का नहीं है क्योंकि न केवल वह समय बीत जाने और अपनी दुकान के अत्यधिक व्यस्त होने के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अजय कुमार की पहचान करने से इनकार करता है, जिससे कि अभियुक्त/अपीलार्थी जैसे किसी अकेले ग्राहक की पहचान की जा सके, बल्कि यह भी गवाही देता है कि घटना के समय के बाद पुलिस द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था।

47. इस प्रकार, यह न्यायालय तथ्यात्मक गवाहों के बयानों में ऐसा कुछ भी नहीं पाता है जो दूर-दूर तक भी यह संकेत दे सके कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को घटना से ठीक पहले या बाद में अंतिम बार एक साथ देखा गया था, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बल पर साबित करने का भार स्थानान्तरित करने का प्रयास किया गया है और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार पर उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का दायित्व डाला गया है जिनके तहत शुभांगी और उसकी 8/9 वर्ष की नाबालिग पुत्री मृत पाई गई थीं। यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालयों में बिना सोचे-समझे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों को बहुत आसानी से लागू करने का चलन बढ़ रहा है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध मामले को साबित करने में रह गई त्रुटि को पूरा करने के लिए धारा 106 कोई रामबाण नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले को स्वयं के आधार पर स्थापित होना होगा और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करना होगा।

48. इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से यह देखा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.04.2011 को दर्ज की गई थी, शवों का पोस्टमार्टम दिनांक 23.04.2011 को किया गया था और उसी तिथि को अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। विवेचक (पी.डब्ल्यू.-7) ने बयान दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को दिनांक 22.04.2011 को घटना स्थल से मिले नोटरी शपथपत्र के आधार पर दिनांक 23.04.2011 को गिरफ्तार किया गया था। स्वीकार्य रूप से, उक्त नोटरी शपथपत्र को न तो साबित किया गया है और न ही अभिलेख पर दाखिल किया गया है, तथा तथ्यात्मक गवाहों के बयान, जिन्होंने कथित तौर पर अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को मृतका के साथ गाँव से बाहर जाते हुए देखा था, घटना के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ढाई महीने से अधिक समय के बाद दर्ज किए गए थे, जो इन तथ्यात्मक गवाहों की गवाही पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

49. पी.डब्ल्यू.-3 (सोना देवी) और पी.डब्ल्यू.-4/पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश/देवर) के साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि मृतका की एक सास थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि घटना की तिथि को सास कहाँ थी। इसके संबंध में प्रकाश डालने के लिए अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, अभियोजन पक्ष यह स्पष्टीकरण देने में भी पूरी तरह विफल रहा है कि मृतका की मृत्यु के लाभार्थियों अर्थात् सास और एक उमा, जैसा कि पी.डब्ल्यू.-6 ने अपनी जिरह में नाम लिया है, का साक्ष्य में परीक्षण क्यों नहीं किया गया। यह न्यायालय यह भी नोट करता है कि यद्यपि घटना स्थल से एक मोबाइल बरामद किया गया था, तथापि उक्त मोबाइल की सहायता से कोई विवेचना नहीं की गई, जो मृतका की मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साक्ष्य दे सकता था। साक्ष्य में उनका परीक्षण न किए जाने के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक हो जाता है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता और अधिक प्रभावित होती है, विशेष रूप से मृतका की हत्या की -मकसद- की कड़ी और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत।

50. मामले का एक और संदेहास्पद पहलू है। हालांकि, नोटरी शपथपत्र की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि पी.डब्ल्यू.-7 (विवेचक) ने बयान दिया है कि मृतक व्यक्तियों और अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के ठिकाने का पता केवल उक्त शपथपत्र से ही चला था। हालांकि, वह रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गया है। इसके अलावा, यदि कुछ समय के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को वास्तविक अपराधी मान लिया जाए, तो उक्त नोटरी शपथपत्र, जिसका प्रभाव अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को मृतका शुभांगी के साथ जोड़ने और उस तक ले जाने का था, उसे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया होता या नष्ट कर दिया गया होता या कम से कम घटना स्थल पर नहीं छोड़ा गया होता। उक्त नोटरी शपथपत्र को घटना स्थल पर छोड़ना अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के लिए एक आत्मघाती परिणाम होता। इस प्रकार, कथित तौर पर घटना स्थल से केवल उक्त नोटरी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शपथपत्र की बरामदगी होना और मृतका के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेंशन के कागजात, संपत्ति के कागजात आदि का न मिलना, वर्तमान मामले में अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की संलिप्तता के बारे में संदेह पैदा करता है। उक्त तथ्य की पुष्टि पी.डब्ल्यू.-7 के बयान से भी होती है, जिसने गवाही दी है कि यद्यपि नोटरी शपथपत्र से अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार का नाम स्पष्ट था, परंतु शुभांगी/मृतका का नाम स्पष्ट नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा मामला अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को दोषी मानकर शुरू किया गया था और वास्तविक अपराधी, जो मृतका के विरुद्ध अपराध के लिए उत्तरदायी था, को खोजने के बजाय उक्त धारणा को सही साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र किए गए थे। इसके अलावा, घटना के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार का आचरण अर्थात् मृतका के गाँव में ही मौजूद रहना, जैसा कि पी.डब्ल्यू.-6 (गणेश) ने गवाही दी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत उसकी बेगुनाही दर्शाने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। यह न्यायालय परिस्थितियों पर आधारित मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष से आवश्यक साक्ष्य के मानक के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी को उद्धृत करना उपयोगी पाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **उमेदभाई जादवभाई बनाम गुजरात राज्य, (1978) 1 एससीसी 228** के मामले में माना कि परिस्थितियों पर आधारित अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बचनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के सुसंगत हो। न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"7. यह सुस्थापित है कि परिस्थितियों पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सामने लाई गई सभी परिस्थितियों को अनिवार्य रूप से और अनन्य रूप से अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करना चाहिए और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसे उचित रूप से अभियुक्त की बेगुनाही के सुसंगत माना जा सके। परिस्थितियों पर आधारित साक्ष्य के मामले में भी, न्यायालय को किसी दिए गए मामले में सभी परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और उन्हें एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में तौलना होगा। कोई भी गायब कड़ी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है।"

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

51. इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना स्थल से बरामद सामग्रियों या अपराध के हथियार को अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार से संलिप्त करने और जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है और न ही किसी गवाह की ऐसी गवाही है जो यह दर्शाए कि ये सामग्रियां अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की निशानदेही पर बरामद की गई थीं या ये सामग्रियां उसकी थीं या यह दर्शाए कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार की ये सामग्रियां घटना स्थल तक कैसे पहुँच सकती थीं। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी किसी भी परिस्थिति को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिल सके कि मृतका (या मृतका का शव) उनके सामान्य निवास स्थान से लगभग 300 किलोमीटर दूर कैसे और किन परिस्थितियों में पाया गया। प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध अपना मामला पूरी तरह से चौथी और पाँचवीं परिस्थिति पर बनाया है, जो इस न्यायालय के अनुसार पूरी तरह से विफल रही हैं और ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई हैं क्योंकि ये परिस्थितियाँ उन तथ्यों को स्थापित नहीं करती हैं, जो अकाट्य रूप से अभियुक्त/अपीलार्थी - अजय कुमार के दोष की ओर इशारा करते हों।

52. इस प्रकार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति अधिक से अधिक यह संदेह पैदा कर सकती है कि उसने अपराध किया होगा परंतु यह इतनी निर्णायक नहीं है कि उसे केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य पर दोषी ठहराया जा सके। चाहे जो भी हो, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब भी न्यायालय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा न कि अभियोजन पक्ष को। वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ अंतिम बार एक साथ देखे जाने के कमजोर साक्ष्य के अलावा, अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। इसलिए, केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

53. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष आश्वस्त करने वाले साक्ष्यों द्वारा और संदेह के साए से परे अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध संदेहास्पद

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है, जिससे कि उसके दोष की पुष्टि की जा सके। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में और यह मानने में स्पष्ट रूप से भूल की कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार के विरुद्ध मामले को हर प्रकार के संदेह से परे साबित कर दिया है। इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार को संदेह का लाभ देकर आरोप से दोषमुक्त किया जाने योग्य है।

54. परिणामस्वरूप, *वाद अपराध संख्या- 133 वर्ष 2011* से उत्पन्न *सत्र विचारण संख्या- 992 वर्ष 2011 (राज्य बनाम अजय कुमार)* में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 05.10.2015 को एतद्वारा उलट दिया जाता है और निरस्त किया जाता है।

55. परिणामस्वरूप, हम यह भी निर्देशित करते हैं कि यदि अभियुक्त/अपीलार्थी अजय कुमार अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

56. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी) (माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

20 फरवरी, 2026

अनुज सिंह